ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

संसु, जागरण • रफीगंज (औरंगाबाद): पंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया रेलखंड पर रफीगंज थाना क्षेत्र के लभरी गांव के समीप शुक्रवार की एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अकौनी गांव निवासी अफरोज खलीफा (पिता नूर मोहम्मद) के रूप में हुई है। बताया गया कि रफीगंज के धाबा नदी के पश्चिमी छोर पर रेलवे ट्रैक के पास युवक के कटने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर रफीगंज थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घटना की जांच की। थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि युवक की मौत ट्रेन से कटकर हुई है।

TRISHA NURSING INSTITUTE
INDIAN NURSING COUNCIL (INC)
APPROVED NURSING COLLEGE
COURSES OFFERED
• ANM • GNM
• B.Sc. NURSING
ADMISSION OPEN
Campus : Punpun, Patna
+91 9031665403/9031665404

विशेष जमीन सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

संसु, जागरण • गोह (औरंगाबाद): प्रखंड में चल रहे विशेष जमीन सर्वेक्षण कार्य को गति देने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा करने के उद्देश्य से शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व अधिकारी अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में वरीय सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों और अमीनों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। राजस्व अधिकारी ने सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को क्षेत्र में तेजी से कार्य करने तथा पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वेक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने प्रखंड के सभी रैयतों और भूमि मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए अपने-अपने खेतों और जमीनों की मेढ़ (सीमा रेखा) तथा आल को स्पष्ट और व्यवस्थित करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि जमीन की सीमाएं स्पष्ट रहने से सर्वेक्षण के आगामी चरणों, जैसे सरजमीन पैमाइश और खतियान मिलान, में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी तथा भविष्य में भूमि सीमा विवाद की संभावनाएं भी कम होंगी।

बैठक करते फल एवं सब्जी विक्रेता • जागरण

वरीय सर्वेक्षण कानूनगो सुनील कुमार सिंह एवं राहुल कुमार सिंह ने कहा कि भूमि स्वामियों का सहयोग सर्वेक्षण कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अमीनों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में सक्रिय रहकर सर्वेक्षण कार्य को गति दें तथा रैयतों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। अधिकारियों ने आम जनता से भूमि संबंधी आवश्यक कागजात तैयार रखने और सर्वे कर्मियों को पूरा सहयोग देने की अपील की। बैठक में दीपेंद्र कुमार, सर्वेक्षण अमीन दीपक कुमार, शशिकांत कुमार, शंभू कुमार, प्रदीप कुमार, आदित्य कुमार एवं कुंदन कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता एवं सम्मान समारोह आयोजित

जासं, औरंगाबाद: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के तत्वावधान में बूढ़ा आश्रम गृह बभंडी के सभागार में जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक प्रियंका ने की। इस अवसर पर बालगृह के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के अधिकारों तथा शिक्षा के महत्व को लेकर जनजागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कुटुंबा प्रखंड से चिन्हित एक विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल सहायता के रूप में 3,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। वहीं, बालगृह में पुनर्वासित एक बालक को उसकी उत्कृष्ट हस्तशिल्प कला के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा "वर्तमान परिदृश्य में बाल श्रम का मुद्दा" विषय पर आयोजित जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पायल कुमारी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पुष्पेंद्र कुमार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रमिला कुमारी को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल श्रम समाज के विकास में बड़ी बाधा है और इसके उन्मूलन के लिए सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समाज के सभी लोगों से बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक एवं संवेदनशील भूमिका निभाने की अपील की गई। समारोह में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई महेशशंकर सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक ! ...Other more you can BANK upon !
सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, ओल्ड जी.टी. रोड, औरंगाबाद, बिहार- 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / भार की गई है, जिसका कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेनदार के पास गिरवी / भार की गई है, जिसका कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। नीचे के प्रतिभूत लेनदारों/सुरक्षित ऋणदाता को अपने ऋण की बकाया के भुगतान के लिए नीचे दी गई तारीख पर प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (6) के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना
और कब्जा (कब्जे) के प्रतिभूत लेनदार, अधीक्षक मूल्य और कब्जा रसीद का विवरण नीचे प्रकाशित किया जाता है।

परिशिष्ट- IV-A (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

क्रमांक	शाखा का नाम जोड़ें का नाम ऋणकर्ता/गारंटर के साथ ऋण प्राप्त खाता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/पहचान का नाम (संपत्ति की गिरवी रखने वाले)	क) कब्जेदारी प्रतिभूत 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) कब्जेदारी प्रतिभूत 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि घ) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/वास्तविक	क) आरक्षित मूल्य (आधार जमानी की) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणकर्ता का विवरण
1	पीएनबी-जेडी (056720) जेडी (पीएनबी पुनरावर लेनदार) ऋण-उत्तरदार: नीतिता, कोटान रोड, जेडी ओप्ट कोल, रोहतास, बिहार- 821305 मुख्यतः अचल मिल मकरी अचल सलीम अचल मिल मुन्नाजन अचल नसीम अंसारी पिता मुन्नाजन अचल सलीम अंसारी पिता मुन्नाजन अचल पत्नी: साहरा पति मुन्नाजन आलम के पक्ष में नो-मुनाफा ऋण निष्पादित किया गया। पीछेही: उत्तर-सुहागि अचल पति रौनक, दक्षिण-निच मोहिल का भाई, पूर्व-खलिल अचल इस्राईल, पश्चिम-पासा पिर लिखवाब बारोगी 2. अचल संपत्ति विवरण के: मौजा-डेहरी, अंचल-डेहरी, प्रखण्ड-नगर परिषद, जिला-रोहतास, थाना संख्या-161, खाता संख्या-170, खेसरा संख्या-821, कैनाल-1.5 डिसमिल, सेल डीड संख्या-10015 दि.डि-22.07.1999, कलिम खातून पति मुसाबत आलम के पक्ष में नो-मुनाफा ऋण निष्पादित किया गया। पीछेही: उत्तर-सुहागि अचल पति रौनक, दक्षिण-निच मोहिल का भाई, पूर्व-खलिल अचल इस्राईल, पश्चिम-पासा पिर लिखवाब बारोगी 2. अचल संपत्ति विवरण के: मौजा-डेहरी, अंचल-डेहरी, प्रखण्ड-नगर परिषद, जिला-रोहतास, थाना संख्या-161, खाता संख्या-170, खेसरा संख्या-821, कैनाल-1.5 डिसमिल, सेल डीड संख्या-10016 दि.डि-22.07.1999, जो मो. कासिम अलाम, मो. खलिल आलम,नसीम आलम, सलीम आलम पिता मुन्नाजन आलम के पक्ष में मो. मुनफा ऋण द्वारा निष्पादित किया गया। पीछेही: उत्तर-सुहागि अचल पति रौनक, दक्षिण- निच मोहिल का भाई, पूर्व-खलिल, पश्चिम-खलिल इस्राईल बारिदार कदीमा खातून	क) रु. 61,00,000/- ख) रु. 6,10,000/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 28.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 16:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम पढ़ें शर्तें : बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्ति को "जैसा है वहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां अंकन अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत संपत्ति के सिवाय प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अनुबंधकर्ता द्वारा वेबसाइट https://ibapi.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 28.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से 02:16.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://ibapi.com और www.pnb.bank.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री की बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, और स्थगित/रद्द करने, या बिक्री की समय सीमा बढ़ाने बढ़ाने का पूरा अधिकार है।
सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना बिक्री की तिथि से 30 दिनों तक लागू होगा
प्राधिकृत अधिकारी

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या कर शव जलाने का आरोप

जासं, औरंगाबाद: रफीगंज थाना क्षेत्र के खिरहिरी गांव में विवाहिता सुनीता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में उसके मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई है। विवाहिता के पिता दाउदनगर थाना क्षेत्र के तरार गांव निवासी देवप्रसाद राम ने गुरुवार को रफीगंज थाने में प्राथमिकी कराई है। पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। दर्ज प्राथमिकी में सुनीता के पति मुन्ना कुमार, ससुर मिथिलेश दास, सास, ननद, नंदोयी तथा अन्य स्वजन को आरोपित किया गया है। देवप्रसाद राम ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री और मुन्ना कुमार दोनों गवाजी में रहते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। शादी के बाद सुनीता अपने ससुराल में रहने लगी। इस दौरान उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि सुनीता की मौत हो गई है। आरोप लगाया गया है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर, सूचना मिलने पर रफीगंज थाना पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी कर ली गई है।

बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर पांच वर्षीय मासूम की मौत से आक्रोश

बरौली बिगहा में बच्चे की मौत से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

- चालक को बंधक बनाकर की पिटाई, पुलिस ने बचाई जान
- बरौली बिगहा में सड़क किनारे खेल रहे मासूम को कुचल दिया

ग्रामीणों की लगी भीड़ • जागरण

जासं, औरंगाबाद: रफीगंज थाना क्षेत्र के खिरहिरी गांव में विवाहिता सुनीता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में उसके मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई है। विवाहिता के पिता दाउदनगर थाना क्षेत्र के तरार गांव निवासी देवप्रसाद राम ने गुरुवार को रफीगंज थाने में प्राथमिकी कराई है। पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। दर्ज प्राथमिकी में सुनीता के पति मुन्ना कुमार, ससुर मिथिलेश दास, सास, ननद, नंदोयी तथा अन्य स्वजन को आरोपित किया गया है। देवप्रसाद राम ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री और मुन्ना कुमार दोनों गवाजी में रहते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। शादी के बाद सुनीता अपने ससुराल में रहने लगी। इस दौरान उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि सुनीता की मौत हो गई है। आरोप लगाया गया है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर, सूचना मिलने पर रफीगंज थाना पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी कर ली गई है।

थाना की पुलिस के सहयोग से ही बालू लदे ट्रैक्टर दौड़ते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की तीखी बहस भी हुई। पुलिस के समक्ष ग्रामीणों ने मासूम के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष सुर्यवीर कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की मौत हुई है।

ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसके पूर्व भी बालू लदे ट्रैक्टर से मौत होने की घटना हुई है।

क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर • जागरण

UPREV U.P. Renewable and EV Infrastructure Ltd

UP RENEWABLE AND EV INFRASTRUCTURE LIMITED (UPREV)
(A Wholly Owned Subsidiary of Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL), Government of Uttar Pradesh)
Office Address: 3rd Floor, Vidyut Seva Ayog SLDC Campus, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 0522-7118334 | Email: etender@uprev.org | Website: www.uprev.org

NIT FOR SETTING UP OF EV PUBLIC CHARGING STATIONS AT 238 LOCATIONS ACROSS UTTAR PRADESH

E-Bid No.: 01/ UPREV/PM E –DRIVE/2026-27 Dated-12.06.2026

UP Renewable and EV Infrastructure Limited (UPREV), the State Nodal Agency for implementation of EV Charging Infrastructure under the PM E-DRIVE Scheme in Uttar Pradesh, ivites online bids from eligible bidders, including consortiums, for selection of Charge Point Operators (CPOs) for setting up, commissioning, operation and maintenance of Public Charging Stations (PCS) across Uttar Pradesh.

Activity	Date
Issue of RFP	15.06.2026 Available for download on https://etender.up.nic.in & https://uprev.org
Last Date & Time for Submission	15.07.2026 at 15:00 Hrs
Submission of E-Bid	https://etender.up.nic.in

All corrigenda, addenda, amendments, clarifications and updates, if any, relating to this tender shall be uploaded only on the above websites/e-portal. No separate advertisement or individual communication shall be issued in this regard. Prospective bidders are advised to visit the aforesaid websites regularly for updates and information pertaining to this tender.

UPREV reserves the right to accept or reject any or all bids, cancel, modify or annul the bidding process at any stage without assigning any reason thereof and without incurring any liability

Director (Technical)
UP Renewable and EV Infrastructure Limited (UPREV)

Latest Jobs JAGRAN Josh www.jagranjosh.com

CISF: 24 पैरामेडिकल पद
- अंतिम तिथि: 07 जुलाई, 2026
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डॉक्टर/डिप्लोमा एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: cisfrectt.cisf.gov.in

UPSSSC: 722 आबकारी सिपाही पद
- अंतिम तिथि: 24 जून, 2026
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इंटरमीडिएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: upsssc.gov.in

SSC CGL : 12,256 ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पद
- अंतिम तिथि: 22 जून, 2026
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: ssc.gov.in

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड : 70 एग्जीक्यूटिव पद
- अंतिम तिथि: 25 जून, 2026
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक/बी.ई./स्नातक एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- वेबसाइट/आवेदन: hindustancopper.com

नौकरी टिप्स
रोमांच के साथ शोहरत से भरपूर है फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की सरकारी नौकरी
अगर किसी जटिल मामले के सबूतों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की सरकारी नौकरी के लिए आप उपयुक्त उम्मीदवार हैं। पुलिस और खुफिया सहित सरकार एवं संबंधित संगठनों, लोक संस्थानों आदि में फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के लिए ढेरों रिक्तियां निकलती रहती हैं। फोरेंसिक साइंस से संबंधित क्षेत्रों में डेजुएट (बीएससी) अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां आपको पैसे के साथ शोहरत भी मिलेगी।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.jagranjosh.com या डाउनलोड करें Jagran Josh Sarkari Naukri App

सांप के डंसने से चार वर्षीय मासूम की गई जान, मातम

पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर खड़े शोकाकुल स्वजन • जागरण

जासं, औरंगाबाद: रफीगंज थाना क्षेत्र के संभुआ गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पहचान त्रिपुरारी कुमार सिंह के इकलौते पुत्र प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद घर से लेकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर प्रकाश अपनी दादी के साथ घर के बाहर सीढ़ी पर बैठा था। इसी दौरान सीढ़ी में बनी दरार से एक विषैला सांप निकल आया और बच्चे को डंस लिया। सांप के काटते ही प्रकाश जोर-जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों की बात पर भरोसा नहीं होने पर स्वजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल औरंगाबाद पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोबारा जांच कर उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इसके बाद स्वजन में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में स्वजन शव से लिपटकर रोने लगे।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर के समीप एक पुराना जर्जर मकान है। आशंका है कि सांप उसी मकान से निकलकर सीढ़ी की दरार में छिपा हुआ था और वहीं से बाहर निकलकर बच्चे को डंस लिया। ग्रामीणों ने जर्जर भवनों को हटाने तथा झाड़ियों की सफाई कराने की बात कही। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि सर्पदंश से बच्चे की मौत हुई है। मासूम की असमय मौत से गांव में दुख का माहौल है।

20 जून को होगी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, दिया गया निर्देश

संसु, जागरण • कुटुंबा (औरंगाबाद): प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन में 20 जून को प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियांशु बसु ने बताया कि बैठक में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। बताया कि बैठक में क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याओं तथा उनके समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। समिति के सभी सदस्यों, संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।